

पूर्वोत्तर रेलवे

अधिसूचना

रेलवे बोर्ड के परिपत्र सं० ई (एन.जी.)।।/2007/आर.सी.-04/सी.ओ.आर.ई/1 दिनांक 16.10.2017, 12.12.2017 एवं 28.11.19 में निहित निर्देशों के आधार पर महाप्रबन्धक महोदय के अनुमोदनोपरान्त गोरखपुर मुख्यालय इकाई के विभिन्न विभागों की रिक्तियों को भरने के लिए सेवानिवृत्त कर्मचारियों से मासिक पारिश्रमिक के आधार पर निम्नलिखित पदों पर री-इंगेजमेंट करने का निर्णय लिया गया है:-

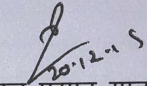
क्रम सं०	विभाग	संवर्ग	रिक्त पदों की संख्या
01	कार्मिक	पी.एस./स्टेनो	20
02	स्टोर	पीएस	01
03	वाणिज्य	सी.एल.ए.	04
04	इंजिनयरिंग	स्टेनो	03
05	विद्युत	एसएसई	02
06	यॉत्रिक	पीएस/स्टेनो	02
07	आरसीटी	पीएस	01
08	"	कार्याधी	01
09	"	कोर्ट मास्टर	01
10	इंजीनियरिंग टीएमसी	एसएससी/जेई/टीएमसी	09
11	"	टेक्नी०	04
12	ल०ना०मि०रे०चि०	नर्सिंग संवर्ग	12
13	"	स्टेनो	02
14	"	ईसीजी टेक्नी०	01
15	"	लैब टेक्नी०	02

अतः उपरोक्त पद के विरुद्ध सेवानिवृत्त रेल कर्मचारियों से री-इंगेजमेंट करने हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं, जिनकी शर्तें निम्नवत् हैं:-

- (i) इस अधिसूचना के तहत आवेदक आवेदन की अंतिम तिथि 15.01.2019 को आवेदक की उम्र 65 वर्ष से कम होनी चाहिए।
- (ii) यह री-इंगेजमेंट पी.एच.ओ.डी. के द्वारा संतोषजनक वर्किंग रिपोर्ट/अनुमोदन के आधार पर किया जा सकेगा। यह री-इंगेजमेंट रेल कर्मचारियों की आयु 65 वर्ष पूर्ण होने तक अथवा दिनांक 01.12.2020 की स्कीम अवधि अथवा आवश्यकता न होने पर अथवा आर.आर.सी./आर.आर.बी. से कर्मचारी उपलब्ध होने पर अथवा विभागीय नामिका प्राप्त होने पर जो पहले हो तक ही सीमित रहेगा।
- (iii) री-इंगेजमेंट के समय सेवानिवृत्त कर्मी को चिकित्सकीय रूप से फिट होना चाहिए।
- (iv) री-इंगेजमेंट कर्मचारियों को मासिक पारिश्रमिक व भत्ते रेलवे बोर्ड के पत्र सं० ई(एन.जी.) 11/2007/आर.सी.-4/कोर/1 दिनांक 16.10.2017 आर.बी.ई सं०-150/2017 दिनांक 16.10.17 एवं ई (एन.जी.)-11/2007/आर.सी.-4/कोर/1 दिनांक 24.10.2017 एवं समय-समय पर रेलवे बोर्ड द्वारा निर्धारित नियमों/शर्तों से शासित होंगे। इन्हें इसके अलावा अन्य कोई भी रेल सुविधा देय नहीं होगी।
- (v) री-इंगेजमेंट किये गये भूतपूर्व कर्मचारियों की सेवा कभी भी बिना नोटिस के समाप्त की जा सकती है।
- (vi) ऐसे आवेदक जिन्होंने अधिसूचना के पूर्व ही अपने आवेदन दिये हैं वे पुनः निर्धारित प्रारूप में आवश्यक संलग्नकों के साथ आवेदन प्रेषित करें।
- (vii) महाप्रबन्धक/कार्मिक कार्यालय, गोरखपुर के परिवाद कक्ष में इसके लिए एक बाक्स भी रखा गया है, जिसमें आवेदन डाला जा सकता है तथा इच्छुक अभ्यर्थी रजिस्टर्ड डाक से परिवाद कक्ष महाप्रबन्धक/कार्मिक/पूर्वोत्तर रेलवे/गोरखपुर पिन-273012 को भी आवेदन भेज सकते हैं। आवेदन भेजने की अंतिम तिथि 15.01.2020 सायं 18.00 बजे तक है।
- (viii) रिक्ति के अनुसार संबंधित कैडर में सेवानिवृत्त रेल सेवक ही आवेदन कर सकते हैं।
- (ix) इसके लिए स्थानीय समाचार पत्रों में भी अधिसूचना जारी की जा रही है।
- (x) यह स्कीम 01.12.2020 तक वैध होगी तत्संबंधी रेलवे बोर्ड द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों का भी अनुपालन किया जाएगा।
- (xi) आवेदन का प्रारूप संलग्न है।

- (xii) वे कर्मचारी इस अधिसूचना में आवेदन के लिए पात्र नहीं होंगे जो लार्सजेस के अंतर्गत स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति हो चुके हैं।
- (xiii) यह अधिसूचना रेलवे की वेबसाइट www.ner.indianrailways.gov.in पर उपलब्ध है।

अतः सेवानिवृत्त रेल कर्मचारी जो मुख्यालय इकाई/गोरखपुर में मासिक पारिश्रमिक के आधार पर कार्य करने के इच्छुक हैं, अपना आवेदन पत्र निर्धारित प्रोफार्मा पर (सेवाप्रमाण पत्र एवं पीओओ की छाया प्रति के साथ साथ) दिनांक 15.01.2020 तक महाप्रबन्धक/कार्मिक, पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर को प्रेषित करें।

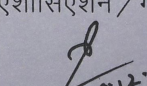

(गोपाल प्रसाद गुप्ता)
वकाधि/मुख्यालय
कृते महाप्रबन्धक/कार्मिक

सं० का/227/1/री-इंगेजमेंट/भाग-VIII/2019

दिनांक 20.12.2019

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अपर महाप्रबन्धक/पूर्वोत्तर रेलवे/गोरखपुर।
2. मुख्य जनसम्पर्क अधिकारी, पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर-कृपया उक्त अधिसूचना को स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों में अधिसूचित करने की व्यवस्था करें।
3. सचिव/महाप्रबन्धक/गोरखपुर।
4. सकाधि/मुख्या-11, पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर- इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त अधिसूचना का रेलवे के वेबसाइट www.ner.indianrailways.gov.in पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।
5. महामंत्री/नरमू, महामंत्री/ओजाओ एवं ओजओजाओ, ओवीओसीओ एशोसिएशन/गोरखपुर।
6. नोटिस बोर्ड हेतु।


कृते महाप्रबन्धक/कार्मिक

रेलवे बोर्ड का पत्र सं० ई(एन.जी.)।।/2007/आर.सी.-4/सी.ओ.आर.ई/1 दिनांक 12.12.2017 एवं
28.11.2019 महाप्रबन्धक/कार्मिक, पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर का अधिसूचना सं०
का/227/1/रीइंगेजमेंट/भाग-VIII/2019 दिनांक 20.12.2019

1	नाम	
2	पिता का नाम	
3	जन्म तिथि	
4	सेवानिवृत्ति के समय पद	
5	आवेदित पद	
6	कार्यालय जहाँ से सेवानिवृत्त हुए हैं	
7	सेवानिवृत्ति की तिथि	
8	लेबल/वेतनमान/ग्रेड पे	
9	अंतिम मूल वेतन	
10	पेंशन की रकम	
11	पत्राचार का पता	
12	सम्पर्क नम्बर (मोबाईल)	
13	संलग्न (हाँ/नहीं)	1. सेवा प्रमाण पत्र की छाया प्रति 2. पेंशन भुगतान आदेश की छाया प्रति

14. P. F. No / NPS No

मेरी जानकारी में उपर दिये गये सभी विवरण सही एवं सत्य है। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि पुर्ननियोजन के पश्चात् रेलवे बोर्ड/महाप्रबन्धक (कार्मिक), पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर द्वारा समय-समय पर जारी होने वाले नियम एवं शर्तों का पालन करूँगा/करूँगी।

दिनांक

हस्ताक्षर

पत्राचार का पता:-

.....

नाम-

.....

पिता का नाम-

.....

सेवानिवृत्ति के समय पद-